न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 94/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
हुकमाराम पुत्र हरजीराम जाति माली निवासी खैरवा हाल केनपुरा		1 मेघाराम पुत्र हरजीराम जाति माली निवासी केनपुरा तहसील पाली 2 तहसीलदार, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 304/2010 बअनवान हुकमाराम बनाम मेघाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम केनपुरा के खसरा नम्बर 1756 व 1757 में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प बडेरवास में दिनांक 16.12.2010 को अपीलाण्ट द्वारा वादस्थ भूमि बाबत एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत छपे छपाये फोर्मेट में पेश करना बताकर उसी दिन बिना कोई साक्ष्य लिये, जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसके किसी भी आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। विधि अनुसार न तो वाद पत्र प्रतिपों में पेश हुआ था, न उस दावे के समर्थन में सी0पी0सी0 अनुसार कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, इसके अतिरिक्त न्यायालय शुल्क भी दावे पर नहीं लगाया गया था। इसी अनुरूप जो जवाबदावा प्रस्तुत हुआ, उसका भी सिविल प्रक्रिया संहिता अनुसार सत्यापन नहीं हुआ था एवं न ही जवाबदावे के समर्थन में कोई शपथ पत्र संलग्न किया गया था। दावे तथा जवाबदावे के समर्थन में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य नहीं ली गई तथा बिना साक्ष्य लिए ही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायलय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, उस पर अपीलाण्ट स्वयं के अंगुष्ठ निशान उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 814 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " When a person signs a document, there is a presumption, unless there is proof of force or fraud, that he has read the document properly and understood it and only then he has affixed his signatures thereon, otherwise no signature on a document can ever be accepted " जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2010 को पारित की गई है तथा निर्णय पारित होने के सात वर्ष पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है। उक्त समस्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। उपरोक्त न्याय सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें ऐसा कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 01.11.2017 को हुई हो। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की

अपील अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 304/2010 बअनवान हुकमाराम बनाम मेघाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2010 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली